कार्यालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)

वाटर राफ्ट्स के लिये निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक / २५० /आर.ए./चार ए/2011/ टीकमगढ़ दिनॉक 3.9.11

म.प्र. के राज्यपाल की ओर से जिला टीकमगढ़ में बाढ़ राहत से बचाव कार्य के लिए एक वाटर राफ्ट्स इंजन सहित कय करने हेतु मुहरबंद निविदाऐं आमंत्रित की जाती है।

1. निविदा फार्म कलेक्टर कार्यालय टीकमगढ़ से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित फार्म में भरी निविदाऐं कलेक्टर कार्यालय में दिनांक 12.09.2011 को अपरान्ह 3.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी। और उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।

2. निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी कलेक्टर कार्यालय में प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

कलेक्टर
जिला टीकमगढ़

कार्यालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़(म0प्र0)

क्रमांक / 251 /आर.ए./चार ए/2011/ टीकमगढ़ दिनॉक 31/8/11

निविदा फार्म

शर्ते और अनुदेश

(1) जिला टीकमगढ़ में एक वाटर राफ्ट्स (इंजन सहित) क्रय की जाना है, जिस हेतु इच्छुक व्यक्ति सील बंद लिफाफा में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा सूचना में
अंकित तारीख अर्थात दिनांक 12.09.2011 को उपरान्ह 3.00 बजे तक आवश्यक रूप से प्राप्त हो जानी चाहिए। प्राप्त निविदाऐं उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।

(2) कलेक्टर कार्यायल तक वाटर राफ्ट्स की ढुलाई के लिए निविदाकार को कोई भाड़ा देय नही होगा।

(3) निविदा के लिए रूपये 10000.00 (दस हजार) की बयाना राशि निर्धारित है, यह राशि कलेक्टर
टीकमगढ़ के नाम पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में जमा की जा सकती है। निविदा के साथ बयाना राशि जमा कर दिये जाने के प्रमाण में बैंक ड्रॉफ्ट का संलग्न होना अनिवार्य है, उसके बिना निविदा पर विचार नही किया जावेगा।

(4) निविदा संलग्न निविदा प्रपत्र में ही भरकर प्रस्तुत की जावे। निर्धारित प्रपत्र से भिन्न किसी अन्य प्रकार के फार्म में प्रस्तुत की गई निविदा पर विचार नही किया जावेगा।" निविदा–प्रपत्र में वह सब जानकारी पूर्ण रूपेण और सही सही भरी जाना चाहिऐ जो वांछित है। उसके अभाव में या अपूर्ण होने पर निविदा पर विचार नही किया जावेगा।

(5) कलेक्टर को यह अधिकारी होगा कि वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताऐं स्वीकार या अस्वीकार कर दें।

(6) सफल निविदाकार को आगे की ऑपचारिकताऐं पूर्ण करने के लिये कार्यालय में बुलाया जावेगा। जहॉ उसे सूचना प्राप्त होने के तीन दिवस के भीतर करारनामा भरकर प्रस्तुत करना होगा तथा साथ में प्रतिभूति निक्षेप (सिक्योरिटी डिपोजिट) के तौर पर रू. 10000.00 (दस हजार) की राशि जमा करना होगी। जमानत की यह राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किये गये अविखण्डीय बैंक गारण्टी या नगदी में जमा कराई जा सकती है। यदि निविदाकार द्वारा निर्धारित समय के अन्दर ऐसा करने में गफलत की गई हो तो बयाने की राशि राजसात कर ली जावेगी। और कार्य किसी अन्य निविदाकार को सौंप दिया जावेगा।

कलेक्टर
जिला टीकमगढ़